दिल्ली उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय से BDPA (INDIA) का रुख हुआ पूर्णतः प्रमाणित

संपादकीय टिप्पणी

बीएसएनएल/एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनरों के पेंशन संशोधन का विषय पिछले कई वर्षों से लाखों पेंशनरों की आशाओं, अपेक्षाओं और संघर्ष का केंद्र रहा है। इस अवधि में विभिन्न संगठनों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से समाधान खोजने का प्रयास किया। किसी ने न्यायालय का मार्ग अपनाया तो किसी ने सरकार एवं दूरसंचार विभाग (DoT) के समक्ष निरंतर संवाद एवं प्रतिनिधित्व का मार्ग चुना।

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय ने इस पूरे विषय की विधिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। यह निर्णय केवल एक न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा का मार्गदर्शन भी है। विशेष रूप से यह स्पष्ट करता है कि बीएसएनएल/एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनरों के पेंशन संशोधन का प्रश्न उनके वेतन संशोधन से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है तथा इसका समाधान तृतीय वेतन संशोधन समिति (3rd PRC) की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है।

यह लेख किसी संगठन की विजय अथवा पराजय का दस्तावेज़ नहीं है। इसका उद्देश्य दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का सरल, तथ्यपरक एवं संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करना है, ताकि प्रत्येक पेंशनर बिना 108 पृष्ठों का पूरा निर्णय पढ़े उसकी मूल भावना और उसके व्यावहारिक प्रभाव को सहज रूप से समझ सके।

BDPA (INDIA) का प्रारंभ से ही स्पष्ट एवं सिद्धांतपरक दृष्टिकोण

BSNL एवं **DoT Pensioners Association (India)** ने अपने गठन के प्रारंभिक काल से ही यह स्पष्ट मत रखा कि बीएसएनएल पेंशनरों के पेंशन संशोधन का आधार **तृतीय वेतन संशोधन समिति (3rd PRC)** की अनुशंसाएँ ही हो सकती हैं। हमारा यह मत किसी अनुमान पर आधारित नहीं था**,** बल्कि सार्वजनिक उपक्रमों **(PSUs)** में लागू वेतन एवं पेंशन व्यवस्था तथा पूर्व में अपनाई गई सरकारी नीतियों के गहन अध्ययन एवं अनुभव पर आधारित था।

हम यह भली-भाँति जानते थे कि **पेंशन संशोधन का आधार वेतन संशोधन होता है।** यदि मूल वेतन में संशोधन नहीं होगा**,** तो पेंशन संशोधन का प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होगा। यही सिद्धांत पूर्व में प्रथम एवं द्वितीय वेतन संशोधन समिति **(1st** एवं **2nd PRC)** के समय अपनाया गया था।

इसी कारण **BDPA (INDIA)** ने प्रारंभ से ही सरकार से यह आग्रह किया कि कार्यरत कर्मचारियों के लिए **3rd PRC** की अनुशंसाओं को लागू किया जाए तथा उसी के अनुरूप बीएसएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनरों की पेंशन का भी न्यायोचित संशोधन किया जाए।

रचनात्मक संवाद में विश्वास, अनावश्यक मुकदमेबाज़ी से परहेज़

हमारे संगठन का यह भी स्पष्ट मत रहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया अंतिम विकल्प हो सकती है, किन्तु वह सदैव सबसे शीघ्र समाधान नहीं होती। न्यायालयों में मामलों के अंतिम निर्णय तक वर्षों लग जाते हैं और इस लंबी प्रतीक्षा के दौरान अनेक वरिष्ठ पेंशनर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी कर देते हैं, बिना अपने वैध अधिकारों का लाभ प्राप्त किए।

इसी भावना से **BDPA (INDIA)** ने संघर्ष का मार्ग अवश्य अपनाया, परन्तु वह संघर्ष **संवाद, तथ्य, तर्क और सतत प्रतिनिधित्व** पर आधारित रहा। हमने समय-समय पर दूरसंचार विभाग (**DoT**), संचार मंत्रालय तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष अपने विचार निरंतर प्रस्तुत किए और यह सुनिश्चित किया कि बीएसएनएल पेंशनरों की आवाज़ सरकार तक प्रभावी रूप से पहुँचे।

हमारा उद्देश्य कभी भी किसी संगठन का विरोध करना नहीं था। हमारा एकमात्र लक्ष्य था—**देश के प्रत्येक -BSNL/MTNL संयुक्त सेवा पेंशनर के हितों की प्रभावी एवं स्थायी रक्षा।**

लेखक

दिनेश डी. मिस्त्री

महासचिव

BSNL एवं DoT पेंशनर्स एसोसिएशन (इंडिया)

And below that, in smaller type:

(लेख में व्यक्त विचार दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय, उपलब्ध सरकारी अभिलेखों तथा BDPA (INDIA) द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत अभ्यावेदनों के आधार पर व्यक्त किए गए हैं।)

"समर्पित"

उन लाखों BSNL/MTNL संयुक्त सेवा पेंशनरों को, जिन्होंने वर्षों तक धैर्य, आशा और विश्वास के साथ न्यायपूर्ण पेंशन संशोधन की प्रतीक्षा की।

संपादकीय टिप्पणी

बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनरों के पेंशन संशोधन का प्रश्न पिछले अनेक वर्षों से देशभर के लाखों पेंशनरों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस अवधि में अनेक विचार सामने आए, विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई गईं और अनेक मंचों पर इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई। कुछ संगठनों ने न्यायालय का मार्ग अपनाया, जबकि कुछ ने सरकार के साथ सतत संवाद एवं रचनात्मक प्रयासों को प्राथमिकता दी।

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तृत एवं ऐतिहासिक निर्णय ने इस पूरे विषय की विधिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। यह निर्णय केवल एक न्यायालयीन आदेश नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा का भी मार्गदर्शक है। विशेष रूप से इसने यह स्पष्ट किया है कि BSNL/MTNL **संयुक्त सेवा पेंशनरों के पेंशन संशोधन का आधार संबंधित वेतन संशोधन से जुड़ा हुआ है और इसे सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू वेतन संशोधन समिति (**PRC) **की व्यवस्था से पृथक नहीं माना जा सकता।**

वर्षों से BDPA (INDIA) जिस सिद्धांत पर निरंतर बल देता रहा, दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने उस विधिक स्थिति को नई स्पष्टता प्रदान की है।

यह लेख किसी संगठन की विजय अथवा पराजय का दस्तावेज़ नहीं है। इसका उद्देश्य न्यायालय के 108 **पृष्ठों के विस्तृत निर्णय का सरल, संतुलित एवं तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है, ताकि प्रत्येक पेंशनर उसके वास्तविक आशय को सहजता से समझ सके।**

पृष्ठभूमि : हम यहाँ तक कैसे पहुँचे?

भारत सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग के निगमकरण के बाद BSNL **का गठन किया गया। दूरसंचार विभाग के अनेक कर्मचारी स्थायी रूप से** BSNL **में समाहित हुए, किन्तु उनकी पेंशन की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने पास ही रखी। इसके परिणामस्वरूप एक विशिष्ट व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसमें सेवा सार्वजनिक उपक्रम में थी, जबकि पेंशन का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा।**

समय-समय पर सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन समितियों (Pay Revision Committees - PRCs) **की अनुशंसाएँ लागू होती रहीं। प्रथम एवं द्वितीय वेतन संशोधन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वेतन संशोधन हुआ और उसके अनुरूप पेंशन संशोधन भी किया गया। इसी पृष्ठभूमि में तृतीय वेतन संशोधन समिति (**3rd PRC) **की अनुशंसाएँ भी सामने आईं।**

यहीं से पेंशन संशोधन के भविष्य को लेकर विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ सामने आने लगीं। कुछ का मत था कि संयुक्त सेवा पेंशनरों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के आधार पर पेंशन संशोधन का लाभ मिलना चाहिए, जबकि अन्य का मत था कि चूँकि ये पेंशनर सार्वजनिक उपक्रम की IDA वेतन प्रणाली से जुड़े हैं, इसलिए उनका पेंशन संशोधन भी PRC व्यवस्था के अनुरूप ही होना चाहिए।

इसी बिंदु पर BDPA (INDIA) ने प्रारम्भ से ही एक स्पष्ट, व्यावहारिक एवं विधिसम्मत दृष्टिकोण अपनाया।

BDPA (INDIA) का प्रारम्भ से ही स्पष्ट एवं सिद्धांतपरक दृष्टिकोण

BDPA (INDIA) का यह दृढ़ मत रहा कि BSNL के संयुक्त सेवा पेंशनरों का पेंशन संशोधन किसी पृथक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं, बल्कि कार्यरत कर्मचारियों के वेतन संशोधन से संबद्ध होना चाहिए। संगठन का यह मत किसी अनुमान पर आधारित नहीं था, बल्कि पूर्व में लागू प्रथम एवं द्वितीय वेतन संशोधन की व्यवस्था, सरकारी आदेशों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापित नीति के अध्ययन पर आधारित था।

इसी कारण संगठन ने निरन्तर यह आग्रह किया कि कार्यरत कर्मचारियों के लिए तृतीय वेतन संशोधन समिति (3rd PRC) की अनुशंसाओं को लागू किया जाए तथा उसी के अनुरूप पेंशनरों की पेंशन का भी न्यायोचित संशोधन सुनिश्चित किया जाए।

BDPA (INDIA) का विश्वास सदैव इस बात में रहा कि संवाद, तथ्य और निरंतर प्रतिनिधित्व, किसी भी दीर्घकालिक समाधान का अधिक प्रभावी मार्ग हैं। इसी कारण संगठन ने समय-समय पर दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष अपने विचार रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किए।

"निम्नलिखित अंश दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख निष्कर्षों का भावानुवाद एवं सरल विश्लेषण हैं। मूल निर्णय की विधिक भावना को यथासंभव अक्षुण्ण रखा गया है, ताकि प्रत्येक पेंशनर उसके वास्तविक आशय को आसानी से समझ सके।"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या स्पष्ट किया?

108 पृष्ठों के निर्णय का सरल एवं प्रामाणिक विश्लेषण

नोट : निम्नलिखित अंश दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख निष्कर्षों का भावानुवाद एवं सरल विश्लेषण हैं। मूल निर्णय की विधिक भावना को यथासंभव अक्षुण्ण रखा गया है।

महत्वपूर्ण न्यायिक निष्कर्ष – 1

PSU कर्मचारियों पर PRC लागू होती है, CPC नहीं

न्यायालय का अवलोकन (अनुच्छेद 26–33)

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों के वेतन एवं उससे संबंधित पेंशन संशोधन का आधार सामान्यतः Pay Revision Committee (PRC) की अनुशंसाएँ होती हैं, न कि Central Pay Commission (CPC) की। यद्यपि कुछ सरकारी कार्यालय ज्ञापनों (OMs) के माध्यम से पूर्व में कुछ लाभ प्रदान किए गए थे, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संयुक्त सेवा पेंशनरों पर स्वतः 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएँ लागू हो जाती हैं।

सरल शब्दों में इसका अर्थ - BSNL/MTNL के संयुक्त सेवा पेंशनरों की सेवा-शर्तें और वेतन संरचना सार्वजनिक उपक्रम की IDA प्रणाली से जुड़ी हैं। इसलिए उनकी पेंशन का संशोधन भी उसी व्यवस्था के अनुरूप देखा जाएगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यही वह मूल आधार है जिस पर पूरे निर्णय की संरचना खड़ी है। न्यायालय ने प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया कि इस विवाद का समाधान PRC व्यवस्था के भीतर ही खोजा जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण न्यायिक निष्कर्ष – 2

3rd PRC की अधिसूचना वित्तीय सामर्थ्य से जुड़ी थी

न्यायालय का अवलोकन (अनुच्छेद 33)

न्यायालय ने उल्लेख किया कि 03 अगस्त 2017 को तृतीय वेतन संशोधन समिति (3rd PRC) की अनुशंसाएँ अधिसूचित की गईं, परंतु उनकी अधिसूचना में स्पष्ट प्रावधान था कि उनका क्रियान्वयन संबंधित सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय वहन क्षमता (Financial Affordability) पर निर्भर करेगा।

सरल शब्दों में इसका अर्थ - 3rd PRC लागू करने का निर्णय केवल घोषणा का विषय नहीं था। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि संबंधित सार्वजनिक उपक्रम निर्धारित वित्तीय मानदंडों को पूरा करे या सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाए।

यह क्यों महत्वपूर्ण है? - यह तथ्य स्पष्ट करता है कि 3rd PRC की अनुशंसाएँ अस्तित्व में थीं, परंतु उनका क्रियान्वयन निर्धारित शर्तों के अधीन था। आगे की पूरी न्यायिक चर्चा इसी संदर्भ में आगे बढ़ती है।

महत्वपूर्ण न्यायिक निष्कर्ष – 3

पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि विधिक अधिकार है

न्यायालय का अवलोकन (अनुच्छेद 104)

न्यायालय ने दोहराया कि पेंशन किसी कर्मचारी पर किया गया उपकार या दया का कार्य नहीं है। यह उसकी दीर्घकालीन सेवा के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होने वाला एक वैधानिक एवं अर्जित अधिकार है। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार संबंधित सेवा नियमों के अधीन संचालित होता है।

सरल शब्दों में इसका अर्थ - प्रत्येक पात्र पेंशनर को पेंशन पाने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन पेंशन में संशोधन भी उसी विधिक ढाँचे के भीतर किया जाएगा, जो संबंधित सेवा और नियमों पर लागू होता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है? - न्यायालय ने पेंशनरों के अधिकार को पूर्ण सम्मान दिया, किन्तु यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारों का निर्धारण लागू नियमों और नीति के अनुसार ही होगा।

महत्वपूर्ण न्यायिक निष्कर्ष – 4

द्वितीय PRC के समय पेंशन संशोधन वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप हुआ था

न्यायालय का अवलोकन (अनुच्छेद 186–194)

न्यायालय ने विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हुए कहा कि वर्ष 2011 **का** DoT **कार्यालय ज्ञापन (**OM **दिनांक** 15.03.2011) **वस्तुतः द्वितीय वेतन संशोधन समिति (2nd PRC) की अनुशंसाओं को स्वीकार करने का परिणाम था। पेंशन संशोधन स्वतंत्र रूप से नहीं किया गया था, बल्कि कर्मचारियों के वेतन संशोधन के पश्चात उसके अनुरूप किया गया था।**

सरल शब्दों में इसका अर्थ - 2011 **में जो पेंशन संशोधन हुआ, वह** 6th CPC **के कारण नहीं, बल्कि** 2nd PRC **से जुड़े वेतन संशोधन का स्वाभाविक परिणाम था।**

यह क्यों महत्वपूर्ण है? - यह निष्कर्ष पूरे निर्णय का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। न्यायालय ने पूर्व उदाहरण के आधार पर स्पष्ट किया कि पेंशन संशोधन और वेतन संशोधन परस्पर जुड़े हुए हैं।

न्यायिक निष्कर्ष – 5

पेंशन संशोधन का आधार वेतन संशोधन है

न्यायालय का अवलोकन (अनुच्छेद 235–237)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेवा विधि का स्थापित सिद्धांत है कि पेंशन का सीधा संबंध कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन (Last Pay Drawn) से होता है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों तथा दिनांक 29.12.2010 **के कैबिनेट नोट का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वेतन संशोधन के बिना पेंशन संशोधन की कल्पना नहीं की जा सकती, जब तक कि किसी विशेष कानून अथवा कार्यपालिका के आदेश द्वारा ऐसा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया गया हो।**

सरल शब्दों में इसका अर्थ - पेंशन कोई स्वतंत्र गणना नहीं है। यह कर्मचारी के संशोधित मूल वेतन पर आधारित होती है। यदि कार्यरत कर्मचारियों का वेतन संशोधित नहीं हुआ है, तो उसी आधार पर पेंशन में संशोधन का दावा सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह क्यों महत्वपूर्ण है? - यही इस पूरे निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि "पहले वेतन संशोधन, उसके बाद पेंशन संशोधन"—यही स्थापित व्यवस्था है। यही वह सिद्धांत है जिस पर BDPA (INDIA) **प्रारम्भ से बल देता रहा है।**

न्यायिक निष्कर्ष – 6

BSNL में समाहित कर्मचारी अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हैं

न्यायालय का अवलोकन (अनुच्छेद 237–258)

न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार विभाग से स्थायी रूप से BSNL/MTNL **में समाहित होने के बाद संबंधित कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं रह जाते। वे सार्वजनिक उपक्रम की IDA वेतन प्रणाली के अंतर्गत कार्य करते हैं और उनकी सेवा-शर्तें संबंधित** PSU **के नियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं। यद्यपि उनकी पेंशन की गणना CCS (Pension) Rules के Rule 37A के अंतर्गत होती है, परंतु इससे वे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के स्वतः पात्र नहीं बन जाते।**

सरल शब्दों में इसका अर्थ - पेंशन का भुगतान भारत सरकार करती है, किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि संयुक्त सेवा पेंशनर प्रत्येक मामले में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के समान माने जाएंगे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है? - इसी आधार पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि 7**वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ स्वतः संयुक्त सेवा पेंशनरों को नहीं दिया जा सकता।**

न्यायिक निष्कर्ष – 7

Rule 37A की सही व्याख्या

न्यायालय का अवलोकन

न्यायालय ने कहा कि **Rule 37A** केवल यह सुनिश्चित करता है कि BSNL/MTNL में समाहित कर्मचारियों की पेंशन का संरक्षण किया जाए तथा उसकी गणना निर्धारित नियमों के अनुसार हो। किन्तु यह नियम कहीं भी यह अधिकार प्रदान नहीं करता कि ऐसे पेंशनरों को प्रत्येक केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं का स्वतः लाभ मिलेगा।

सरल शब्दों में इसका अर्थ - Rule 37A पेंशन का अधिकार देता है, परंतु यह यह नहीं कहता कि पेंशन संशोधन का आधार PRC के स्थान पर CPC होगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है? - याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क इसी बिंदु पर आधारित था। न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया।

न्यायिक निष्कर्ष – 8

7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएँ लागू नहीं होतीं

न्यायालय का अवलोकन (अनुच्छेद 257–258 एवं 272)

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि **7th Central Pay Commission** केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा उन सीमित श्रेणी के BSNL/MTNL कर्मचारियों पर लागू होता है जो प्रो-राटा पेंशन प्राप्त करते हैं। संयुक्त सेवा पेंशनर (Combined Service Pensioners) इस श्रेणी में नहीं आते।

अतः उन्हें 7वें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन संशोधन का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

सरल शब्दों में इसका अर्थ - केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि पेंशन भारत सरकार देती है। यह देखना भी आवश्यक है कि संबंधित कर्मचारी किस सेवा ढाँचे और किस नियम के अंतर्गत आते हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है? - यही वह निष्कर्ष है जिसके आधार पर न्यायालय ने CAT के निर्णय को स्वीकार नहीं किया।

न्यायिक निष्कर्ष – 9

CAT का निर्णय क्यों निरस्त किया गया?

न्यायालय का अवलोकन (अनुच्छेद 273)

उपरोक्त सभी विधिक एवं तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रधान पीठ, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), नई दिल्ली द्वारा दिनांक **20.09.2023** को पारित आदेश विधिसम्मत नहीं था। अतः उसे निरस्त (Set Aside) करते हुए भारत सरकार की याचिकाएँ स्वीकार कर ली गईं।

सरल शब्दों में इसका अर्थ - उच्च न्यायालय ने CAT के निर्णय को इसलिए निरस्त किया क्योंकि उसका आधार लागू विधिक व्यवस्था और Rule 37A की सही व्याख्या से मेल नहीं खाता था।

यह क्यों महत्वपूर्ण है? - यही अंतिम परिणाम है जिसने पूरे विवाद की दिशा बदल दी और आगे की रणनीति को स्पष्ट किया।

न्यायिक निष्कर्ष – 10

न्यायालय का अंतिम संदेश

न्यायालय का निष्कर्ष (अनुच्छेद 269–273)

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:

- BSNL/MTNL **में समाहित कर्मचारी स्थायी समायोजन के बाद संबंधित** PSU **के नियमों से संचालित होते हैं।**
- **उनके वेतन संशोधन का आधार Pay Revision Committee (PRC) है।**
- **पेंशन संशोधन वेतन संशोधन से जुड़ा हुआ है।**
- **जब तक 3rd PRC के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों का वेतन संशोधित नहीं होता, तब तक उसी आधार पर पेंशन संशोधन का प्रश्न सामान्यतः उत्पन्न नहीं होता।**
- **इसलिए संयुक्त सेवा पेंशनरों को 7th CPC के आधार पर पेंशन संशोधन का अधिकार प्राप्त नहीं है।**

न्यायालय के निर्णय का सार (एक नज़र में)

इस निर्णय से निम्नलिखित विधिक स्थिति स्पष्ट होती है—

1. **PRC और CPC दो अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं।**
2. **BSNL संयुक्त सेवा पेंशनरों पर PRC व्यवस्था लागू होती है।**
3. **Rule 37A पेंशन की सुरक्षा देता है, 7th CPC का अधिकार नहीं।**
4. **पेंशन संशोधन का आधार वेतन संशोधन है।**
5. **3rd PRC का क्रियान्वयन आगे की प्रक्रिया की मूल कड़ी है।**
6. **CAT का निर्णय इसी कारण निरस्त किया गया।**

"संपादकीय टिप्पणी"

"यह लेख किसी संगठन की विजय अथवा पराजय का दस्तावेज़ नहीं है। यह दिल्ली उच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक निर्णय का सरल विश्लेषण है, जिसने BSNL/MTNL संयुक्त सेवा पेंशनरों के पेंशन संशोधन के संबंध में विधिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। वर्षों से BDPA (INDIA) द्वारा अपनाए गए रचनात्मक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को इस निर्णय से महत्वपूर्ण वैधानिक समर्थन प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य प्रत्येक पेंशनर तक इस निर्णय की वास्तविक भावना सरल भाषा में पहुँचाना है।